तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल ...
30/10/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते बहस के मुल्तवी दिनांक 10/11/25 को पेश हो।
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। अभिभाषक वादी द्वारा बहस वादी एवं प्रतिवादीगण सं 3, 5, 6 के मध्य राजीनामा जो वर्ष 2021 में हुआ अनुरूप निर्णय हेतु निवेदन किया। अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है एवं शेष प्रतिवादीगण 3, 5, 6 के मध्य वर्ष 2021 में ही राजीनामा हो चुका है अतः राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चलनिया पटवार हल्का तहसील शाहपुरा में संवत 2039 से संवत 2042 की जमाबंदी की जिल्द संख्या 154 में खातेदार मांगू पिता भैरा जाट व कुल किता 6 रकबा 12 बीघा [illegible] किता है उक्त खातेदार ने अपनी आराजियात हरसहाय पिता धूकल जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा हरसहाय जाट को सुपुर्द कर दिया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीददार हरसहाय जाट के पक्ष में नामान्तरण संख्या 88 पास किया गया। नामान्तरण का इन्द्राज तत्कालीन जमाबंदी में खातेदार की हैसियत से कर दिया गया। हरसहाय जाट की मृत्यु के आधार पर इंतकाल 56/26-05-97 रामस्वरूप, जगदीश, रामगोपाल पिसरान हरसहाय माता उच्छबी, कु. उच्छबी बेवा के नाम दर्ज किया गया। जिसका इन्द्राज संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी में हुआ। प्रतिवादीगण ने 3 से 6 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09-18-1995 को वादी उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

में आराजियात विक्रय की, कब्जा काश्तकारान ने विक्रय
राशि प्राप्त करते हुए दिये किया। आराजी नम्बर 558
रकबा 0.12 बिस्वा, 584 रकबा 0.07 बिस्वा, 585
रकबा 0.05 बिस्वा, 586 रकबा 4.16 बिस्वा, 587
रकबा 4.08 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 10बीघा
4 बिस्वा में से वादी ने 2बीघा 11बिस्वा आराजियात
खरीद की जो कुल रकबे का 1/4 हिस्सा होता है तहसील
शाहपुरा में सेटलमेंट कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुराने
आराजी नम्बर 558 के नये नम्बर 418, 584,
585, 586, 587 के नये नम्बर 465, 466, 467,
468, 481 कुल किता 8 रकबा 2.17 हैक्टेयर बने। वर्तमान
जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में वादी का नाम दर्ज
नहीं होने से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है वर्तमान नये
नम्बरों के खाता नं० 117 कुल किता 6 रकबा 1.56 हैक्टेयर व
खाता नं० 250 कुल किता 2 रकबा 0.63 है० कुल योग
8 रकबा 2.19 है० है इन दोनों जमाबंदी में वर्णित
आराजियात का वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज खरीद के
मुताबिक दर्ज कराना चाहता है वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी शाहपुरा के यहां खातेदारी घोषणा व इन्द्राज
दुरस्ती का वाद पत्र तारीख 02-07-1997 को पेश किया
उक्त वाद पत्र नं० 142/97 का निर्णय वादी के पक्ष में
तारीख 16-08-1999 को किया गया। वाद पत्र में वर्णित
नम्बरों व रजिस्ट्री में खरीदशुदा नम्बर के हिस्से में अन्तर
कर दिया। उक्त वाद पत्र में वर्णित नम्बरों में खरीद किये
गये हिस्से से अधिक हिस्सा वाद पत्र में वर्णित नम्बरों
में खरीद किये गये हिस्से से अधिक हिस्सा वाद पत्र में
डिक्री कर दिया। जो तहरीर में गलत अंकित किया गया
जिसकी जानकारी वादी को नाबालिग होने से नहीं थी।
वादी के पक्ष में हुई डिक्री इस्तगासा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा के यहां पेश की गई। जिसके नम्बर 14/2006 है
जिसका फैसला तारीख 20-10-2021 को हुआ। उक्त
इस्तगासा में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

GCMS No. .... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल

तारीख हुक्म	
	प्रतिवादी नं. 5 का नाम रामपाल की) जिसके पश्चात प्रतिवादी नं. 5 [illegible] की मांग को न्यायालय द्वारा अपर [illegible] के [illegible] सं. 157 [illegible] स्वीकार किया। उक्त [illegible] का [illegible] जिसमें भी पैरा संख्या 4 वादी के पक्ष में [illegible] किया गया। जिसमें वादी के नाम के बजाय [illegible] गलत आदेश होने से वादी द्वारा यह वाद पत्र गलत [illegible] हो गया। जिसके वादी द्वारा यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण नं. 3 [illegible] 6 के प्रस्तुत कर याचना की गई कि वाद पत्र के घोषणा की डिक्री इस प्रकार की जारी की जाये कि [illegible] पैरा नं. 4 में वर्णित वादी के [illegible] काश्तकार घोषित किया 1/4 हिस्से का वादी को [illegible] काश्तकार घोषित किया जाये। [illegible] कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 3, 5, 6 द्वारा दिनांक 01-10-21 को एक सुलहनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र के पैरा नं. 4 में वर्णित आराजियात में से वादी को 1/4 हिस्से का [illegible] काश्तकार घोषित किया जाये बाबत सुलहनामा प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 01-10-21 को ही तस्दीक [illegible] तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा [illegible] किन्तु प्रतिवादी नं. 4 द्वारा सुलहनामा नहीं दिया [illegible] प्रकरण प्रकरण में आगामी पेशी की गई किन्तु प्रतिवादी नं. 4 के विरुद्ध दिनांक 20-12-23 को एक तरफा कार्यवाही होने के पश्चात प्रकरण आदेश में रखा गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 01-10-21 को प्रस्तुत सुलहनामा अनुसार वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को देखा गया। वर्तमान खतौनी का अवलोकन किया गया। जिससे वाद एवं सुलहनामा की पुष्टि होती है अतः सुलहनामा स्वीकार किया जाकर उसी अनुसार डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। **आदेश** उपरोक्त विवेचन के वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 3, 5, 6 द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री इस प्रकार की जारी की जाती है कि वाद [illegible] तमाम [illegible] उपखण्ड अधिकारी

MS No. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रकरण हल्का मुलास ग्रा०पं० निठौड़ा तेज मुलास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी 458 रकबा 0.0200 हे०, 464 रकबा 0.6100 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 0.6300 हे० एवं आराजी नम्बर 418 रकबा 0.13 हे०, 465 रकबा 0.2300 हे०, 466 रकबा 0.1400 हे०, 467 रकबा 0.4400 हे०, 468 रकबा 0.1300 हे०, 481 रकबा 0.4900 हे० कुल किता 6 रकबा 1.5600 हे० में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किया जावे डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील नम्बर से कायम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.) निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को लिखाया सुनाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)	

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

खाना उर्फ कन्हैयालाल पिता भोलू उर्फ भोला जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा
2– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– रामस्वरूप पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– जगदीश पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– रामदयाल पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– मु. उच्छबी बेवा सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा व नामान्तकरण निरस्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु

मुकदमा नम्बर 03/2011 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03, 05, 06 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाके ग्राम चलानिया पटवार हल्का लूलास भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लूलास तसहील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.0200 है0 एवं आराजी नम्बर 464 रकबा 0.6100 है0 कुल किता 2 रकबा 0.6300 है0 तथा आराजी नम्बर 418 रकबा 0.1300 है0, 465 रकबा 0.2300 है0, 466 रकबा 0.1400 है0, 467 रकबा 0.4400 है0, 468 रकबा 0.1300 है0, 481 रकबा 0.4900 है0 कुल किता 6 रकबा 1.5600 है0 में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड की जावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 10 माह 11 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा

AnyScanner